

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आर्द0एल0आर0 पत्रावली  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार पत्रावली में वर्णित अनुसार  
 गुदागौड़जी का नाम सुरेश प. सुरभा लक्ष्मी है पत्रावली के पहलान परतावेजी सुरेश प. सुरभा  
 प. सुरभा लक्ष्मी उक्त गाँव का नाम पहलान परतावेजी के आर्द0एल0आर0 पत्रावली पर उचित  
 उचित आदेशों से वास्तु पत्रावली है।

क्रमांक राजस्व/2020/2303

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुदागौड़जी

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाये उसे अग्रिया की जाती है / यही की जाती है।

उक्त नाम जाना उचित है

*[Signature]*  
15/12/20

तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलखंड (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
①	पचलंगी	2075-2078	110, 276, 277	सुरेश प. सुरभा	सुरेश कुमार प. सुरभा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 15/12/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/2303  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....

को सूचनार्थ।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी